

प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोद
जिला बालोद {छ0ग0}

क्लेम प्रकरण क्रमांक-1/2013.
संस्थापित दिनांक 1.1.2013.

1. उदयराम कोठारी आ. मंशाराम, उम्र-50 वर्ष,
2. श्रीमती तीजोबाई पति उदयराम, उम्र-48 वर्ष,
साकिन-दल्लीराजहरा, तह.-बालोद,
जिला-बालोद (छ0ग0) —आवेदकगण.

—:विरुद्ध:-

1. हरीश कुमार रावटे आ. रेखलाल रावटे, उम्र लगभग 23 वर्ष,
साकिन-बड़गांव, तह.-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद (छ0ग0),
2. नेशनल इं.कं.लि.,
मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय, सुपेला-भिलाई,
जिला-दुर्ग (छ0ग0) —अनावेदकगण.

आवेदकगण द्वारा श्री डी.आर.गजेन्द्र, अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक-1 अनुपस्थित ।

अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा श्रीमती रीता पांडे, अधिवक्ता ।

—: अधिनिर्णय :-

(आज दिनांक- 28/02/2019 को घोषित किया गया)

01/ आवेदकगण की ओर से धारा 163-क मो0यान अधिनियम,
1988 के तहत दिनांक 6-7-2011 को वाहन मोटरसायकिल क्रमांक-सी.
जी.07एल.एस.-1782 की दुर्घटना से शैलेन्द्र कोठारी की मृत्यु बाबत
अनावेदकगण के विरुद्ध 5,20,000/-रु0 की क्षतिपूर्ति हेतु यह आवेदन

पेश किया गया है, जिसमें उक्त वाहन को आगे दोषी वाहन से संबोधित किया जा रहा है ।

02/ प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ भी नहीं है ।

03/ आवेदकगण का आवेदन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 6-7-2011 को मृतक शैलेन्द्र कुमार कोठारी अनावेदक क्रमांक-1 की मोटरसायकिल को सामान्य गति से चलाते हुये बालोद से डौंडीलोहारा की ओर जा रहा था कि ग्राम कोरगुड़ा के पास सामने गाय के आ जाने के कारण शैलेन्द्र कुमार कोठारी को मोटरसायकिल सहित गिर जाने से गंभीर चोटें आई, उसे ईलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालोद लाया गया, जहां से से.-9 अस्पताल भिलाई रिफर किया गया, जहां ईलाज के दौरान दिनांक 28-7-2011 को उसकी मृत्यु हो गई । घटना की सूचना पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 250/11 धारा 279, 338 भारतीय दंड संहिता पंजीबद्ध कर प्रकरण का खात्मा किया गया है, मृतक शैलेन्द्र कुमार कोठारी 25 वर्षीय स्वस्थ व मेहनती युवक होकर कोठारी पोल्ड्री फार्म का संचालन कर मुर्गी पालन का व्यवसाय करता था, जिससे उसे प्रतिवर्ष 40,000/- रुपये आमदनी होती थी, जिससे आवेदकगण का भरण-पोषण व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी । उसकी आकस्मिक मृत्यु से आवेदकगण को आय की क्षति हुई, उन्हें आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हुआ । अतः आवेदकगण ने विभिन्न

मदों में अनावेदकगण से 5,20,000/—रु0 ब्याज सहित क्षतिपूर्ति दिलाये जाने बाबत् आवेदन पेश किये हैं।

04/ अनावेदक क्रमांक-1 ने अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुये इस आशय का जवाबदावा पेश किया कि दोषी वाहन का बीमा अनावेदक क्रमांक-2 के द्वारा पैकेज पॉलिसी के तहत किया गया था, जो दुर्घटना तिथि पर जीवित रही है, मृतक चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस था, इसलिये क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व बीमा कंपनी पर है । अतः इस अनावेदक को दायित्व से मुक्त किया जाये ।

05/ अनावेदक क्रमांक-2 ने जवाबदावा पेश कर अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुये अभिवचन किया है कि मृतक चालक के पास लायसेंस नहीं था, मृतक स्वयं तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाने के कारण वाहन को संभाल नहीं सका और गाय से टकरा गया, बीमा शर्त का उल्लंघन होने से क्षतिपूर्ति का दायित्व अनावेदक क्रमांक-1 पर है, क्षतिपूर्ति का आंकलन बढ़ा-चढ़ाकर किया गया है । अतः आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

06/ प्रकरण के विधिवत् निराकरण हेतु उभय पक्ष के अभिवचनों व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नांकित वादप्रश्न विरचित किए गए थे तथा साक्ष्य विवेचना उपरान्त उन्हीं के समक्ष निष्कर्ष अंकित किए गए हैं:-

क्र०	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या घटना दिनांक 6-7-2011 को मृतक शैलेन्द्र कुमार कोठारी अनावेदक क्रमांक-1 की मोटरसायकिल क्रमांक- सी.जी.07 एल.एस.-1782 को सामान्य गति से चलाते हुये बालोद से डौंडीलोहारा की ओर जा रहा था तब सामने जानवर आ जाने से वह उक्त मोटरसायकिल से गिर गया एवं दिनांक 28-7-2011 को उसकी मृत्यु हो गई ?	हाँ, विपरीत दिशा से आ रही मोटरसायकिल की टक्कर से दुर्घटना हुई है।
02.	क्या मृतक शैलेन्द्र कुमार कोठारी 25 वर्षीय होकर पोल्ट्री फार्म का कार्य कर 40,000/- रुपये प्रतिवर्ष आय अर्जित करता था ?	मृतक 23 वर्षीय होकर 39,900/- रुपये वार्षिक आय प्राप्त करता था।
03.	क्या मृतक ने उक्त वाहन का बीमा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन में चालन किया था ?	प्रमाणित नहीं।
04.	क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो किससे व कितना ?	कंडिका- 13 के अनुसार निराकृत।
05.	सहायता एवं वाद व्यय ?	कंडिका-16 के अनुसार आवेदकगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

-:: वाद प्रश्न क्र०-01 पर सकारण निष्कर्ष ::-

07/ आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में मृतक की माता तिजोबाई कोठारी आ.सा.क्र.-1 का परीक्षण कराया गया है, जबकि अनावेदक पक्ष की ओर से प्रकरण को माननीय छ.ग.उच्च-न्यायालय द्वारा रिमांड किये जाने के उपरांत जे.एक्का, उप-प्रबंधक, नेशनल इं.कं. लि. सुपेला-भिलाई का परीक्षण कराया गया है ।

08/ आवेदिका तिजोबाई कोठारी आ.सा.क्र.-1 ने अपने आवेदन के अभिवचनों का समर्थन करते हुये अपने कथन में बताई है कि दिनांक 6-7-2011 को उसका पुत्र शैलेन्द्र अनावेदक क्रमांक-1 के मोटरसायकिल से हरीश के साथ सामान्य गति से चलाते हुये बालोद से डौंडीलोहारा की ओर जा रहे थे कि शाम 4.00 बजे कुरकुरा के पास सामने से अचानक मवेशी आ जाने के कारण शैलेन्द्र मोटरसायकिल से गिर गया, उसे चोट आई तथा बेहोश हो गया, उसे प्रारंभिक उपचार हेतु बालोद लाया गया, जहां से से.-9 भिलाई रिफर कर दिया गया, ईलाज के दौरान दिनांक 28-7-2011 को उसकी मृत्यु हो गई । उक्त साक्षी का कथन दुर्घटना के संबंध में प्रति-परीक्षण में अखंडित रहा है ।

09/ आवेदिका ने अपने पक्ष समर्थन में अंतिम प्रतिवेदन प्र. पी-1 से शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 तक पेश की है । अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 के अनुसार मृतक चालित दोषी वाहन का अन्य वाहन से टकराये जाने के परिणामस्वरूप दुर्घटना होना उल्लेखित है,

जबकि दावे में उसके वाहन के सामने गाय आ जाने से दुर्घटना होना उल्लेखित है । आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी-10, जो हरीश कुमार रावटे का आपराधिक प्रकरण में न्यायालयीन बयान की प्रतिलिपि है, जिसके साक्ष्य के अनुसार वह घटना दिनांक को मृतक के साथ दोषी वाहन में सवार होकर जा रहा था तो उनके वाहन का गाय से दुर्घटना हो गया, गाय से टकराने के बाद गाड़ी अंकित मालेकर की मोटरसायकिल से टकरा गई । उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है, जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है । अतः यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को मृतक चालित दोषी वाहन का पहले गाय से टकराने के बाद अन्य मोटरसायकिल के टकराने के उपरांत दुर्घटना हुई और उक्त दुर्घटना में आई चोट से उसकी मृत्यु कारित हुई है । यह दावा धारा 163 –क मोटर यान अधिनियम के तहत पेश किया गया है । **धारा 163–क** में प्रावधानित है कि किसी लिखत में किसी बात के होते हुये भी, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या स्थाई निःशक्तता की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या आहत व्यक्ति को, दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिये दायी होगा। चूंकि मृतक शैलेन्द्र कुमार कोठारी की मृत्यु वाहन दुर्घटना से होना चालानी दस्तावेजों से प्रमाणित है, आवेदकगण की ओर से मृतक

चालित दोषी वाहन के स्वामी एवं बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति हेतु दावा पेश किया गया है, दावा धारा 163-क मोटर यान अधिनियम के तहत पेश किया गया है, जिसमें आज्ञापक प्रावधान के अनुसार उपेक्षा एवं उतावलेपन को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है । अतः वाद प्रश्न क्रमांक-01 का निष्कर्ष "हाँ" में अंकित किया जाता है ।

-:: वाद प्रश्न क0-02 पर सकारण निष्कर्ष ::-

10/ आवेदिका तिजोबाई कोठारी आ.सा.क्र.-1 ने अपने दावा आवेदन की पुष्टि करते हुये अपने कथन में बताई है कि उसका पुत्र शैलेन्द्र कुमार कोठारी गांव में पोल्ट्री फार्म डाला था, जहां मुर्गी पालन का व्यवसाय कर 3,300- रुपये प्रतिमाह आय प्राप्त करता था, वे लोग उसकी आय पर आश्रित थे, मृत्यु के समय उसकी उम्र 25 वर्ष थी । शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-9 में मृतक की आयु 23 वर्ष उल्लेखित है, अतः उसकी घटना के समय आयु 23 वर्ष मान्य किया जाता है । आवेदिका ने अपना दावा आवेदन धारा 163-क मोटर यान अधिनियम के तहत पेश किया है । अतः उक्त प्रावधानों के तहत आज्ञापक प्रावधान होने से मृतक की प्रतिमाह आय 3,300/- रुपये निर्धारित की जाती है । अतः वादप्रश्न क्रमांक-2 का निष्कर्ष "हाँ" में अंकित किया जाता है ।

-::वाद प्रश्न क0-03 का सकारण निष्कर्ष::-

11/ मृतक चालक के पास चालन लायसेंस न होने के आधार पर बीमा की शर्तों के उल्लंघन का बचाव अनावेदक क्रमांक-2 बीमा कंपनी द्वारा लिया गया है, इसलिये सबूत भार भी बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक-2 पर रहा है, जिसके निर्वहन में अनावेदक क्रमांक-2 बीमा कंपनी की ओर से जे.एक्का अना.सा.क्र.-1 का परीक्षण कराया गया है, जिसके कथन में बीमा शर्त के उल्लंघन का कोई तथ्य नहीं आया है, अपितु उसने अपने कथन में बताया है कि दोषी वाहन से संबंधित थर्ड पार्टी का जोखिम कवर करने के लिये प्रीमियम लिया गया है, मालिक सह ड्रायव्हर हेतु 50/- रुपये का अतिरिक्त प्रीमियम दिया गया है । अभिलेख में संलग्न मृतक के चालन अनुज्ञप्ति के अवलोकन से उक्त अनुज्ञप्ति 5-4-2008 को जारी किया गया है तथा दिनांक 4-4-2028 तक के लिये वैध रहा है, घटना दिनांक 6-7-2011 की है । ऐसी स्थिति में बीमा के शर्त का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है । अतः इस वादप्रश्न क्रमांक-3 का निष्कर्ष "नहीं" में दिया जाता है, जिसका प्रभाव यह है कि बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति भुगतान के उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता ।

-::वाद प्रश्न क्र0-04 का सकारण निष्कर्ष:-

12/ उपर की गई विवेचना में घटना दिनांक को मृतक शैलेन्द्र कुमार कोठारी की उम्र 23 वर्ष तथा प्रतिमाह आय 3,300/- रुपये

निर्धारित की गई है । इस प्रकार उसकी कुल वार्षिक आय 39,900/- रुपये निर्धारित किया जाता है । धारा 163-क की द्वितीय अनुसूची के अनुसार उसकी वार्षिक आय 39,900/- रुपये में उसके व्यक्तिगत खर्च $1/3$ को काटकर आश्रितता की गणना तथा 17 का गुणांक प्रयोज्य होगा, जिसके आधार पर यदि मृतक शैलेन्द्र कोठारी जीवित होता तो अपनी वार्षिक आय का $1/3$ भाग स्वयं पर खर्च करता एवं शेष भाग अपने परिवार पर खर्च करता, इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय 39,900/-रुपये में से $1/3$ अर्थात् 13,300/- रुपये की कटौती करने के उपरांत आवेदकगण की वार्षिक आश्रितता राशि 26,600/-रुपये होती है। प्रकरण में मृतक की आयु 23 वर्ष होना प्रमाणित पाया गया है, ऐसी दशा में 17 का गुणांक प्रयोज्य होगा । अतः आश्रितता राशि में 17 का गुणांक प्रयोज्य करने पर अर्थात् $26,600 \times 17 = 4,52,200$ /-रुपये आश्रितता राशि होती है।

13/ इस प्रकार महेन्द्र निषाद की मृत्यु होने पर आवेदकगण को आश्रितता की क्षति 4,52,200/-रुपये + संपदा की हानि 2,500/-रुपये + अंत्येष्टि के मद में 2,000/-रुपये कुल क्षतिपूर्ति राशि-4,56,700/-रु0 (अक्षरी चार लाख छप्पन हजार सात सौ रुपये) स्वीकार किया जाता है ।

14/ अनावेदक क्रमांक-2 बीमा कंपनी की ओर से न्याय-दृष्टांत निनगम्मा एवं अन्य वि. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं.लि. 2009 ए.सी.जे. -2020 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये तर्क किया गया है कि मृतक वाहन स्वामी अनावेदक क्रमांक-1 से वाहन मांगकर ले गया था, उसके पश्चात् दुर्घटना हुई है और अन्य कोई वाहन संलिप्त नहीं था, ऐसी दशा में आवेदकगण धारा 163-ए मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं । वादविषय क्रमांक-1 की विवेचना में मेरे समक्ष के इस मामले में दोषी वाहन का पहले गाय से टकराने और अन्य मोटरसायकिल से दुर्घटना होने का तथ्य प्रमाणित हुआ है । ऐसी दशा में अनावेदक क्रमांक-2 बीमा कंपनी प्रस्तुत न्याय-दृष्टांत का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है । अतः निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि को आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथक-पृथक प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

15/ चूंकि घटना दिनांक को दोषी वाहन का अनावेदक क्रमांक-1 चालक, पंजीकृत स्वामी तथा अनावेदक क्रमांक-2 बीमा कंपनी रहे हैं । इसलिये उक्त प्रतिकर के लिये अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथक्कतः उत्तरदायी पाये जाते हैं, परंतु वाहन बीमित होने से क्षतिपूर्ति का प्राथमिक दायित्व अनावेदक क्रमांक-2 बीमा कंपनी पर होगा । अतः वादप्रश्न क्रमांक-4 का निष्कर्ष उपरोक्त रूप में दिया जाता है ।

-:: सहायता एवं व्यय ::-

16/ प्रकरण में उपरोक्तानुसार संपूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से आवेदकगण द्वारा धारा-163-क मो0यान अधिनियम-1988 के तहत प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है :-

(अ) आवेदकगण को क्षतिपूर्ति की राशि कुल- 4,56,700/-रु0 (अक्षरी चार लाख छप्पन हजार सात सौ रुपये) को अनावेदकगण 30 दिवस के भीतर आवेदन दिनांक 1-1-2013 से अदायगी दिनांक तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करेंगे।

(ब) क्षतिपूर्ति की राशि मय ब्याज जमा होने पर दोनों आवेदक को 50-50 प्रतिशत देय होकर उन्हें 50,000-50,000/- रुपये एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से नगद भुगतान कर दिया जाये तथा उनके हिस्से की शेष राशि उनके नाम से 5 वर्ष की अवधि के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा हो, जो बीच में अधिकरण की अनुमति के बिना देय नहीं होगा तथा अवधि समाप्ति पश्चात् वे उक्त राशि सीधे बैंक से प्राप्त कर सकते हैं ।

(स) अनावेदकगण स्वयं का एवं आवेदकगण का वाद- व्यय संयुक्ततः अथवा पृथक-पृथक वहन करेंगे।

(द) अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगा।

“तदनुसार व्यय तालिका तैयार किया जावे।”

अधिनिर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित
कर पारित गया।

मेरे निर्देशानुसार
टंकित किया गया।

सही / -

स्थान-बालोद,
दिनांक-28-2-2019.

(विजय कुमार मिंज)
प्रथम अ०मो०दु०दावा अधिकरण, बालोद,
जिला-बालोद (छ०ग०)

वाद व्यय

क्र०		आवेदकगण	अनावेदक क्रमांक 1	अनावेदक क्रमांक-2
1	मूलदावा			
2	पावर			
3	आवेदन पत्र			
4	अभिभाषक शुल्क			
5	तलवाना			
	योग			

सही / -

(विजय कुमार मिंज)
प्रथम अ०मो०दु०दावा अधिकरण, बालोद,
जिला-बालोद (छ०ग०)